

पश्चिम रेलवे

मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, रतलाम

संख्या-ईटी/839/4/2 भाग-07

दिनांक - 04/11/2020

**प्रति,****समस्त मण्डल यातायात/यातायात निरीक्षक रतलाम मण्डल****समस्त स्टेशन प्रबंधक/अधीक्षक – रतलाम मण्डल**

विषय- आवधिक स्थानान्तरण वर्ष 2020-2021 स्टेशन मास्टर कैटेगरी – परिचालन विभाग रतलाम मण्डल।

सन्दर्भ- 01. इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 24.01.2020

02. रेलवे बोर्ड का पत्र सं.- E(NG)1/87/TR/34/NFIR/JCM/DC दिनांक 27.09.1989 एवं प्रधान कार्यालय का पत्र सं.- ET/839/1 VOL-02 दिनांक 24/31.12.1998

\*\*\*\*

उपरोक्त सन्दर्भ क्रमांक-02 के निर्देशानुसार स्टेशन मास्टर कैटेगरी में वर्ष 2020-21 में आवधिक स्थानान्तरण नीति के तहत संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का आवधिक स्थानान्तरण किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कर्मचारियों की रेडीनेश सूची जारी की जानी है।

सभी यातायात निरीक्षक को निर्देश दिये जाते हैं कि जो कर्मचारी दिनांक 31.12.2020 तक आवधिक स्थानान्तरण नीति के अनुसार एक ही स्टेशन पर कार्य करते हुए 04 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं और आवधिक स्थानान्तरण के लिए इयू हैं, ऐसे कर्मचारियों की सूची निर्धारित प्रारूप में स्टेशन वाईज दिनांक 11.11.2020 तक इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भेजने की व्यवस्था करें।

क्र.सं.	नाम सर्वश्री	पदनाम /स्टेशन	वर्तमान स्टेशन पर कार्य करने की दिनांक	संवेदनशील पद पर कार्य हैं या नहीं, यदि हैं तो किस दिनांक से कार्यरत हैं।	टिप्पणी आवधिक स्थानान्तरण किया जाना हाँ/नहीं

इसे अति आवश्यक समझें। उक्त जानकारी शीघ्र पूर्ण विवरण के साथ इस कार्यालय को भिजवायें ताकि रेडीनेश सूची शीघ्र जारी की जा सकें।

(दीपक परमार)

मण्डल कार्मिक अधिकारी  
कृते-वरि.मं.का.अधि. रतलाम